इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—ज्येष्ठ 3, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ 7-01-2013-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित भरती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संविदा सेवा (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973);

(ख) ''संविदा अनुबंध'' से अभिप्रेत है, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति और सरकार के बीच निष्पादित किया जाने वाला अनुबंध;

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम (5) में वर्णित अधिकारी;

(घ) ''संविदा सेवा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संचालक द्वारा संविदा आधार पर ली गई सेवा;

(ङ) ''संविदा अधिकारी/कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के नियंत्रण के अधीन कार्य निष्पादित करने के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति ;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट समिति;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. **नियमों की प्रयुक्ति.**—ये नियम, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके नियंत्रण के अधीन कार्य निष्पादित करने के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होंगे.

4. **संविदा वेतन का भुगतान.**—संविदा सेवा पर नियुक्त सेवा के सदस्यों को, संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा, नियम 9 के अधीन संचालक द्वारा नियत की गई दरों पर, मासिक आधार पर संविदा वेतन का भुगतान किया जाएगा. परन्तु उन दिनों के लिए संविदा वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा जिनको कि सदस्य, कर्तव्य से, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा हो.

5. **चयन और पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया.**—

(1) **पद**—नगर तथा ग्राम निवेश के संविदा सेवा के पदों की संख्या आयुक्त-सह-संचालक द्वारा निश्चित की जाएगी और इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग में सीधी भरती के माध्यम से चयन किया जाएगा.

(2) **चयन और नियुक्ति.**—अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट समस्त पदों पर, उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूची—एक के कालम (4) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्तियां की जाएंगी.

(3) **आयु सीमा.**—संविदा नियुक्ति के लिए उस वर्ष की, जिसमें कि नियुक्ति की जानी है, जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 40 वर्ष होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त संस्थाओं, नगर सैनिकों तथा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी किन्तु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(4) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अनुसूची—एक के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी.

(5) **आरक्षण और उपबंध.**—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या निदेशों के अनुसार संविदा आधार पर सीधी भरती की प्रक्रिया के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(6) महिलाओं और नि:शक्तजनों के लिए सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान होगा.

(7) **विज्ञापन.**—नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के पद राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापित कराए जाएंगे और विज्ञापन की एक प्रति कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी.

(8) आवेदन प्राप्त हो जाने पर, आवेदनों की प्रारंभिक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी. चयन सूची में योग्यता और वरिष्ठता के क्रम में नियुक्ति की जाएगी.

(9) चयन समिति, नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया विनिश्चित करेगी. समिति को, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा उस निमित्त प्राप्त शिकायतों का निराकरण करने का अधिकार होगा.

(10) चयन सूची, प्रवर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग) अलग-अलग सूचियां उनके लिए आरक्षित किए गए पदों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार करेगी. इसके अतिरिक्त एक समेकित प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी. रिक्त पदों की संख्या के 25 प्रतिशत नाम प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे. यह चयन सूची समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी.

(11) नियुक्ति प्राधिकारी प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर रोस्टर बिन्दु के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की, उस क्रम में जिसमें कि उनके नाम चयन सूची में आए हैं, नियुक्ति करेगा. नियुक्ति प्राधिकारी प्रतीक्षा सूची का प्रवर्गवार उपयोग तब करेगा जब मुख्य सूची के अभ्यर्थी द्वारा संविदा सेवा का पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है. चयन सूची, उसे अंतिम रूप देने के पश्चात् एक वर्ष तक वैध रहेगी जिसे पर्याप्त औचित्य के आधार पर तीन मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा.

6. **संविदा सेवा की कालावधि तथा पदस्थापना.**—संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा की कालावधि दो वर्ष होगी. संविदा सेवा के दो वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् संविदा सेवा की कालावधि में वृद्धि का निर्णय, नियंत्रणकर्ता अधिकारी की सिफारिश और रिपोर्ट पर संचालक द्वारा लिया जाएगा.

7. **संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन और नियंत्रण.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध लागू होंगे. इन नियमों की अवहेलना होने अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

8. **संविदा वेतन.**—इन नियमों के अधीन नियुक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी तथा कम्प्यूटर आपरेटर का संविदा वेतन, नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर सर्विस इंक (एनआईसीएसआई) में समान पदों के वेतन के अनुसार संचालक द्वारा निश्चित किया जाएगा. वाहन चालक, भृत्य तथा चैनमेन का संविदा वेतन वित्त विभाग के परामर्श से नियत किया जाएगा.

9. **संविदा सेवा की शर्तें**—(1) चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल बाद नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रुपये (पचास रुपये) के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर विहित प्ररूप में अनुबंध निष्पादित करेगा. अनुबंध के निष्पादन पर उपगत होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा.

(2) किसी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे. उक्त अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वत: रद्द हो जाएगी. कार्यभार ग्रहण करने हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जाएगा.

(3) संविदा अधिकारी/कर्मचारी को अपने अच्छे चरित्र एवं उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा. शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विरुद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात् बिना कोई कारण बताए तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त कर देगा.

(4) संविदा के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय पदधारी को शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड/सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति उसकी संविदा सेवा की कालावधि के लिए पेंशन प्रसुविधाओं (लाभों) का हकदार नहीं होगा.

(6) संविदा का पदधारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण का हकदार नहीं होगा किन्तु वह प्रचलित भरती नियमों के अंतर्गत सीधी भरती के पदों पर आवेदन कर सकेगा.

(7) संविदा नियुक्ति, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह के संविदा वेतन का भुगतान किया जाकर समाप्त की जा सकेगी.

(8) इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति गृहभाड़ा भत्ता या किन्हीं अन्य भत्तों के हकदार नहीं होंगे.

(9) संविदा पदधारी एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे.

(10) ऐसी महिला संविदा पदधारियों को, जिनकी दो या दो से कम जीवित संतान हों, अधिकतम 90 दिन के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी. संबंधित कार्यालय प्रमुख को उपरोक्त वर्णित अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार होगा.

(11) संविदा सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगी.

(12) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के समान पदों के अनुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी.

(13) संविदा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी.

10. **निरर्हताएं**.—कोई भी अभ्यर्थी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—

(क) वह किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा किसी अर्द्धशासकीय या शासकीय संगठन द्वारा सेवा के अयोग्य ठहरा दिया गया हो;

(ख) वह नैतिक पतन से संबंधित किसी अपराध का दोषी पाया गया हो;

(ग) वह किसी आपराधिक मामले में अथवा महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहरा दिया गया हो;

(घ) उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों और महिला अभ्यर्थियों के मामले में यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो जिसकी पूर्व पत्नी जीवित हो;

(ङ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26-01-2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो:

परन्तु कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो और आगामी प्रसव दिनांक 26-01-2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें जुड़वा के रूप में दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

11. **निर्वाचन**.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

12. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे कि ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

अनु-क्रमांक	संविदा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी.	**आवश्यक अर्हता:** सूचना प्रौद्योगिकी में उपाधि एवं 3 वर्ष का अनुभव. **वांछनीय अर्हता:** डिप्लोमा इन जियोइन्फारमेटिक सिस्टम (PGD-GIS) को प्राथमिकता	(1) आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि-**अध्यक्ष** (2) अपर सचिव/उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग **—सदस्य** (3) उप संचालक (स्थापना) नगर तथा ग्राम निवेश **—सदस्य** **टिप्पण:** उक्त समिति में यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को कोई एक सदस्य जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.	आयुक्त-सह-संचालक
2.	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी.	**आवश्यक अर्हता:** सूचना प्रौद्योगिकी में उपाधि वांछनीय अर्हता. 2 वर्ष या इससे अधिक अनुभव को प्राथमिकता.		
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर.	**आवश्यक अर्हता:** 1. स्नातक 2. कम्प्यूटर एल्पीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDCA) **वांछनीय अर्हता:** 2 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव.	(1) संबंधित कार्यालय प्रमुख नगर तथा ग्राम निवेश **—अध्यक्ष** (2) अन्य विभाग का समान रैंक का अधिकारी **—सदस्य** **टिप्पण:** उक्त समिति में यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को कोई एक सदस्य जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.	संबंधित कार्यालय प्रमुख.
4.	वाहन चालक.	**आवश्यक अर्हता:** हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा भारी मोटरयान चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति. **वांछनीय अर्हता:** 2 वर्ष या इससे अधिक वर्षों का अनुभव.		
5.	भृत्य.	आठवीं उत्तीर्ण		
6.	चैनमेन.	आठवीं उत्तीर्ण		

अनुसूची—दो

[नियम 5(1) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	पदनाम (2)	पदों की संख्या (3)	वेतन (4)
1.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	01	निक्सी द्वारा समान पदों के लिए नियत दर के आधार पर वेतन नियत किया जाएगा.
2.	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	02	-तदैव-
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	41	-तदैव-
4.	वाहन चालक	21	संविदा वेतन विभाग द्वारा वित्त विभाग से परामर्श कर नियत किया जाएगा.
5.	भृत्य	98	-तदैव-
6.	चेनमेन	34	-तदैव-

संविदा का अनुबंध

(नियम 10 (1) देखिए)

यह अनुबंध एक पक्ष के रूप में ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... आयु ..... वर्ष ..... का निवासी (जो इसमें इसके पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा) और द्वितीय पक्ष के रूप में, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश (जो इसमें इसके पश्चात्, नियोजक के रूप में जाना जाएगा) के बीच ..... (दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) को निष्पादित किया गया है.

यह कि नियोक्ता ने, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) भरती नियम, 2013 के अधीन संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश/नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय ..... के लिए, आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... को उक्त अधिकारी/कर्मचारी को संविदा आधार पर नियुक्त किया है तथा संविदा अधिकारी/कर्मचारी इस संविदा अनुबंध के लिए सहमत है.

दो पक्षकारों के बीच यह सहमति है:—

1. दोनों पक्षकार उक्त नियमों से आबद्ध होंगे तथा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इनका उल्लंघन कदाचार माना जाएगा.
2. अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा तथा मासिक संविदा रकम का भुगतान उसी तारीख से किया जाएगा.
3. इस संविदा से संबंधित किसी विवाद की दशा में केवल स्थानीय सीमाओं में स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी जहां संविदा अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त है.
4. किसी कदाचार या किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा अधिकारी/कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दें.
5. ऊपर क्रमशः वर्णित संबंधित भाग, तारीख तथा वर्ष पर निम्नलिखित साक्षियों ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं.

साक्षी :

1. हस्ताक्षर .....
   नाम
   पता

(एक) हस्ताक्षर .....

2. हस्ताक्षर .....
   नाम
   पता

(दो) हस्ताक्षर .....

No. F-7-01-2013-XXXII.,—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following recruitment rules to regulating the appointment, remuneration and other conditions of service of the contratual officers and employees of the Directorate of Town and Country Planning, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as Madhya Pradesh Town and Country Planning Contract Service (Appoinment and Condition of Service) Recruitment Rules, 2013.

2. It shall come into force from the date of its publication in the " Madhya Pradesh gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means, Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 (No. 23 of 1973);

(b) "Agreement of Contrac" means an agreement which shall be executed between the contractual appointee and the Government;

(c) "Appointing Authority" means a service on contract basic made by Director under these rules;

(d) " Contract Service" means any person appointed for execution of work under the control of Directorate of Town and country Planning on contract service;

(e) "Contract officer employee" means any person appointed for execution of work under the control of Directorate of Town and country Planning on contract service;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Selection Committee" means the committee constituted as specified in column (4) of Sehedule-I;

(h) "Sehedule" means the Schedules appended to these rules;

3. **Applicability of the rules.**—These rules shall be applicable to the officers/employees appointed on contract basic by the Directorate, Town and Country Planning and concerned Head of the Officer for execution of works their control.

4. **Payment of contract salary**.—The members appointed on contract service shall be paid, the contractual salary on the monthly basic at the rates fixed by the Director under rule-9, by the concerned drawing and disbursing officer, but the contract salary shall not be paid for those days on which the member remained absent from the duty unauthorisedly.

5. **Procedure for selection and appointment on the posts.—**

(1) **Posts**—The number of posts of contractual service in Town and Country Planning shall be decided by the Commissioner Cum-Director and selection of contract officer/employee cadre shall be made through direct recruitment after commencement of these rules.

(2) **Selection and Appointment**.—Appointment to all the posts specified in Schedule-I shall be made by the Appointing Authority specified in column (5) of the said Schedule on the recommendations of Selection Committee specified in column (4) of Schedule-I.

(3) **Age Limit.**—The minimum and maximum age limit for contractual appointment shall be 21 years and 40 years respectively, on the first day of January of that year in which appointment has to be made. Upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Government Servants, Corporations, Boards, Commissions, Autonomous Bodies, Home Guards and Women but the maximum age limit including all kinds of relaxations shall not exceed 45 years in any case.

(4) **Minimum Educational Qualification.**—The minimum educational qualification for the candidates shall be as specified in column (3) of Schedule-I.

(5) **Reservation and Appurtenance.**—The posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes Other Backward Classes candidates shall be kept reserved under direct requirement process on contract basis under the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders or instructions issued from time to time by the Government, in this regard.

(6) For women and handicapped candidates the provision for reservation shall be as per the rules of the Government.

(7) **Advertisement.**—The posts of contract officers/employees shall be advertised by the Appointing Authority at least two State Level News Papers and one copy of advertisement shall also be displayed on the Notice Board of the Office.

(8) On receipt of applications a list of eligible candidates shall be prepared by the Appointing Authority after primary scrutiny of the applications. The appointment shall be made in order of merit and seniority in the selection list.

(9) The Selection Committee shall decide the procedure of appointment and selection. The committee shall be empowered to accept or reject the applications and dispose of any complaints received in that behalf.

(10) The Selection Committee shall prepare cadre-wise (Schedule Tribe, Schedule Caste and other Backward Class) separate lists for ensuring filling of posts reserved for them. In addition to the consolidated merit list, shall be prepared. The names of additional 25 percent of vacant posts shall be kept in the waiting list. This selection list shall be submitted by the committee to the Appointing Authority.

(11) The Appointing Authority shall appoint the persons according to the roster system on the basis of first come first serve in which their names appear in the selection list. The waiting list shall be used category-wise by the Appointing Authority when the candidates from the main list does not join contractual service. The validity of selection list shall be one year after the finalisation of such list, which may be extended up to a period of three months on the basis of sufficient propriety.

6. **Period of Contract service and posting.**—The period of service of the officer/employee on contract basis shall be for two years. After completion of two years of contractual service the decision for extension of contractual service shall be taken by the Director on the recommendations and reports of the Controlling Officer.

7. **Discioline and control during contract period.**—The provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 shall be applicable to the persons appointed under thses rules. In the event of disregard of these rules or involvement in any criminal activity, the contract appointment shall be terminated by the Appointing Authority at any time after giving on opportunity of hearing.

8. **Contract Salary.**—The contract salary of Information Technology Officer, Assistant Information Technology Officer and Computer Operator under these rules shall be decided by Director at par with the analogous posts in the National Informatics Centre Service Inc. (NIC SI). The contraact salary of Driver, Peon and Chain-man shall be fixed in consultation with the Finance Department.

9. **Conditions of Contractual Service.—**(1) The selected candidate immediately after receipt the appointment order shall excute an agreement with the Appointing Authority on a Non-Judicial stamps only of Rs. 50/- (Rupees Fifty) only in the prescribed format. The expenditure incurred on execution of the agreement shall be borne by the candidate himself.

(2) It shall be compulsory for the person to join and take charge at the place of posting within fifteen days from the date of issue of appointmeent order, in the event of failure to join within the said period, the contractual appointment shall automatically be cancelled. The department shall not bear any expense on account of joining the post.

(3) The contract officers/employee shall be required to furnish an affidavit regarding his good character and non-pendency of any criminal case against him. On receipt of information against the facts mentioined in the affidavit, the Appointing Authority after verification of such facts shall terminate the contractual appointment immediately without any show cause notice.

(4) At the time of joining the post the contract official shall produce health fitness certificate issued by the Medical Board of Government District Hospital civil surgeon.

(5) The contractual appointee shall not be entitled for the pension benefits for his contact service period.

(6) The contract official shall not be entitled for regularization in government service but can apply for the posts of direct recruitment under the applicable recruitment rules.

(7) the contract appointment can be terminated by any party and at any time after one month notice or on payment of one month contractualy salary.

(8) The persons appointed under these rules shall not be entitled for house rent allowance or any other allowances.

(9) The contract officials shall be entitled for maximum 13 days casual leave duringg a calendar year.

(10) Women candidate shall be entitled for maximum 90 days Maternity Leave, if she has two or less than two children alive. The head of the Office concerned shall be empowered to sanction above mentioned leave.

(11) Other condition of contractual service shall be as specified in the appointment order.

(12) The person appointed on contract basis shall be entitled for travelling allowance at par with the equivalent posts in the Town and country Planning.

(13) The person appointed on contractual basis shall not be entitled for medical reimbursement, earned leave and medical facilities.

10. **Disqualifications.**—No candidate shall be eligible for contract appointment if,—

(a) he has been declared disqualified for service by any State or Central Government or Semi-Government or any Government organization;

(b) he has been found guilty for any offence connected with demoralization;

(c) he has been convicted for any criminal offence or crime against women;

(d) he has more than one wife alive and in the case or women candidate if she has married to a person having his first wife alive;

(e) he has more than two living children, one of whom is born on or26-1-2001, shall not be eligible for any post :

Provided that no candidate shll be disqualified for appointment to a posst who ha already one living child and next delivery took place on or after 26-1-2001 in which two or more than two children are born as twins.

11. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

12. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall construed as to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such a manner as may appears it to be just and eqitable.

SCHEDULE-I

(*See rule* 5)

S.No.	Name of the posts included in Contract Service	Minimum Educational Qualification	Selection Committee	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Information Technology Officer.	**Essential Qualification:** Degree in Information Technology and 3 years experience. **Requisite Qualification :** Post Graduation Diploma in Geo-Informatics System (PG-GIS) shall be preferred.	(1) Commissioner-cum-Director town & country planning or representative nominated by him—**Chairman.** (2) Additional Secretary/ Deputy Secretary Housing & Environment Department—**Member** (3) Deputy Director (Establishment) Town Country Planning—**Member.**	Commissioner-cum-Director.
2	Assistant Information Technology Officer.	**Essential Qualification :** Degree in Information Technology (IT). **Requisite Qualification :** Experience of 2 years or more shall b epreferred.	**Note**—If there is no member of Scheduled Castes and Scheduled Tribe category is present in the above Committee then any one Member of Scheduled Caste and Scheduled Tribe who shall not be below the rank of Class-II officer shall be nominated by the Commissioner.	
3	Computer Operator	**Essential Qualification:** (a) Graduate (b) Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA). **Requisite Qualification :** Experience of 2 years or more.	(1) Concerning Head of Offiice of Town and Country Planning—**Chairman** (2) Officer of equal rank of ther Department— **Member** (3) If there is no member of Scheduled Castes and Scheduled Tribe category is present in the above Committee then any one Member of Scheduled Caste and Scheduled Tribe who shall not be below to the rank of Class-II officer shall be nominated by the Commissioner.	Concerning Head of the Office.
4	Driver	**Essential Qualification :** Higher Secondary Passed and valid Driving Licence of Heavy Motor Vehicle. **Requisite Qualification :** Experience of 2 or more years.		
5	Peon	VIIIth Pass		
6	Chainman	VIIIth Pass		

SCHEDULE-II
[*See rule* 5(1)]

S.No. (1)	Designation (2)	No. of Posts (3)	Salary (4)
1	Information Technology Officer	01	The Salary shall be fixed on the basis of rate fixed by NICSI for similar posts.
2	Assistant Information Technology Officer.	02	—do—
3	Computer Operator	41	—do—
4	Driver	21	Contract pay shall be fixed by the Department in consulation with Finance Department.
5	Peon	98	—do—
6	Chainman	34	—do—

AGREEMENT OF CONTRACT
[*See rule* 10(1)]

This Agreement is executed on this . . . . . day of . . . . . .(Month). . . . . .(year) between Shri . . . . . .Son/Wife/Daughter of Shri . . . . . age . . . . . .years resident of . . . . . on the first part (hereinafter shall be known as Contract Officer/Employee) and Director, Town and Country Planning on the 2nd Part (hereinafter known as Employer).

That the Employer under the Madhya Pradesh Twon and Country Planning Contract Service (Appointment and Conditions of service) Recruitment Rules, 2013 vide Order No. . . . . date. . . . . has appointed as officer/employee for Directorate of Town and Country Planning/District Office of Town and Country Planning . . . . . on contract basis and Contract Officer/employee has agreed for this contract appointment.

It is agreed between two parties :—

1. Both the parties shall be bound with the said rules and violation thereof by the officer/employee shall be treated as misconduct.
2. The Officer/Employee shall be treated in contract service from the date of taking over charge, on the place of appointment and the payment of monthly contract amount shall be made from that date.
3. In case of any dispute relating to this contract only the court situated in local boundaries shall have jurisdictions, where the contract officer/employee in appointed.
4. The employer shall have power to terminate the service of contractual officer/employee who is involved in misconduct or criminal activities.
5. In witness this agreement is signed, on respective parts, on date and year mentioned above respectively.

Witness :

1. Signature . . . . . (One) Signature . . . .
   Name . . . . . .
   Address . . . . . .

2. Signature . . . . . (Two) Signature . . . . . .
   Name . . . . . .
   Address . . . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सक्सेना, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.